राष्ट्रीय खादय सुरक्षा योजना (NFSA)

1	**योजना का नाम**	राष्ट्रीय खादय सुरक्षा योजना 2013 (NFSA)
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 राज्य में 2 अक्टूबर 2013 से चलाई जा रही इस योजना में पात्र परिवारों को 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर खाटयान प्रदान कर खादय सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है ।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2 अक्टूबर 2013
4.	लाभान्वित वर्ग	अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र परिवार के लाभार्थी (बीपीएल योजना एवं स्टेट बीपीएल योजना सहित (विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.01.2016 में शामिल)
5.	पात्रता	खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने हेतु विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.01.2016 में राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 की समावेशन सूची (ग्रामीण एवं शहरी क्षैत्र में अलग-अलग) में शामिल किये जाने की पात्रता हेतु आवश्यक दस्तावेज ।
6.	देय सुविधाएं	अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेंहूं प्रति परिवार तथा अन्य पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम गेंहू प्रति यूनिट 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह वितरण ।
7.	आवेदन का तरीका	कोई भी प्रार्थी साधारण कागज पर आवेदन के साथ NFSA समावेशन पात्रता श्रेणी के प्रमाणित दस्तावेज संलग्न कर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील के माध्यम से अपना नाम एनएफएसए सूची में जुडवा सकता है।
8.	आवेदन कहां किया जावें	राष्ट्रीय खादय सुरक्षा योजना (NFSA) में समावेशन हेतु उप खण्ड अधिकारी को आवेदन करें ।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	राष्ट्रीय खादय सुरक्षा योजना (NFSA) में चयनित परिवार
10.	सम्पर्क सूत्र	उपखण्ड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी

19/1/16

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(10)(5)खा.वि./खाद्यान्न/2013 जयपुर, दिनांक 19.01.2016

अधिसूचना

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु पात्र व्यक्तियों की पहचान के लिये राज्य सरकार द्वारा समावेशन (पात्र)/निष्कासन (पात्र नहीं) हेतु गठित टॉस्क फोर्स द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 20.11.2015 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित संशोधित समावेशन/निष्कासन हेतु मापदण्ड स्वीकृत किये जाते हैं:—

समावेशन सूची

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
क्र. सं.	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी	समावेशन (Inclusion) प्राथमिकता श्रेणी
1	अन्त्योदय परिवार	अन्त्योदय परिवार
2	बीपीएल परिवार	बीपीएल परिवार
3	स्टेट बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार
4	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी	अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा, बशर्ते परिवार का कोई अन्य सदस्य निष्कासन की श्रेणी में नही आता हो:— A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओं/वर्गों में शामिल हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा, बशर्ते परिवार का कोई अन्य सदस्य निष्कासन की श्रेणी में नही आता हो:— A. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना B. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना C. मुख्यमंत्री एकल नारी योजना D. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना E. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना F. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना G. महानरेगा में 2009—10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला

	G. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना H. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार I. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार J. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।	परिवार H. मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना I. सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार J. कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार K. भूमिहीन कृषक L. सीमान्त कृषक M. वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्ते exclusion (पात्र नहीं) शर्तो में न आते हो।
6	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
7	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)	समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
8	एकल महिलाएँ	एकल महिलाएँ
9	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक	श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम	पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11	कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सर्वेक्षित परिवार	—
12	कचरा बीनने वाले परिवार	कचरा बीनने वाले परिवार
13	शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएँ	—
14	गैर सरकारी सफाई कर्मी	—
15	स्ट्रीट वेण्डर	—
16	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार	उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
17	साईकिल रिक्शा चालक	साईकिल रिक्शा चालक
18	पोर्टर (कुली)	पोर्टर (कुली)
19	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति	कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक	घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वन वागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
21	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी	वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी
22	—	लघु कृषक

131

निष्कासन सूची

शहरी क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)	ग्रामीण क्षेत्र निष्कासन (exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं)
1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी /स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती छोडकर) 5. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यावसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर) 6. एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार। 7. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।	1. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो। 2. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी/ अधिकारी हो अथवा 1 लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो। 3. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। 4. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। 5. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक हो। 6. **ऐसा परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।**

नोटः- 1. राज्य सरकार द्वारा इन पात्रता शर्तों में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

2. आम-जन की जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट http://www.food.rajasthan.gov.in/ पर भी इसे अपलोड कर दिया गया है।

13/1/16

(महावीर प्रसाद शर्मा)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त
एवं
सदस्य सचिव, टॉस्क फोर्स

D:\DC (HQ)\Food grain\letter\75

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रह विभाग, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग, जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
14. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
15. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
16. निजी सचिव, आयुक्त, मि—डे—मील, जयपुर।
17. निजी सचिव, आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
18. निजी सचिव, निदेशक, जनगणना विभाग, जयपुर।
19. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक कल्याण विभाग, जयपुर।
20. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विभाग, जयपुर।
21. निजी सचिव, अति0 खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
22. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
23. विभागीय प्रोग्रामर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को ई—मेल एवं विभागीय वेब सांइट अपलोड करना सुनिश्चित् करें।
24. रक्षा पत्रिका।

19/1/16

(मुकेश कुमार मीणा)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव